What is the meaning of "Trust"?

''विश्वस्त संस्था'' का मतलब क्या है ?

विश्वस्त संस्था की व्याख्या क्या है ?

बहुत सारी संस्थाओं का पंजीकरण ''विश्वस्त संस्था'' ऐसा किया जाता है । यहां पे १८८२ के 'इंडियन ट्रस्ट ॲक्ट'' के सेक्शन ३ को देखना चाहिये । महाराष्ट्र राज्य के लिये ''बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ॲक्ट'' लागू होता है । लेकिन इस कानुन में ''ट्रस्टी'' की व्याख्या नहीं की है । कानुन में अगर किसी चीज की व्याख्या नहीं कि है तो उसे समझने के लिये उसके जेसे किसी दुसरे कानून का संदर्भ लिया जाता है । 'इंडियन ट्रस्ट ॲक्ट' सिर्फ निजी या प्रायव्हेट विश्वस्त संस्थाओं के लिये है सरकारी संस्थाओं के लिये नहीं ।

निजी विश्वस्त संस्था याने किसी एक परिवार के सदस्य या कंपनी के स्टाफ के फायदे के लिये बनाई गयी संस्था । ''भविष्य निर्वाह'' की भी आप विश्वस्त संस्था बना सकते हो । ऐसी संस्थाओं का ''इंडियन ट्रस्ट ॲक्ट'' के सेक्शन तीन के अनुसार पंजीकरण हुआ है ऐसा माना जाता है । ''विश्वस्त'' होने का मतलब है कि किसी भी संपत्ती का नियोजित कार्य के लिये उपयोग करने की जिम्मेदारी । विश्वस्त व्यक्ती यह जिम्मेदारी अपनी मर्जी से लेती है । संपत्ती का मतलब पैसा या संपत्ती/अगर आपने रु. ५००/- का ट्रस्ट किया तो वो विश्वस्त निधी बन जाता है । विश्वस्त व्यक्ती ऐसी संपत्ती की जिम्मेदारी दूसरों के फायदे के लिये और अपनी मर्जी या खुशी से लेते है ।

''दूसरा'' याने कौन ।

''दूसरे'' का मतलब ''गरीब और जरूरतमंद'' हो सकता है या ''दृष्टीहीन'' हो सकता है । विश्वस्त की संपत्ती पर कानुनन विश्वस्त व्यक्ती (ट्रस्टी) का अधिकार होता है ।

जैसे खुद की संपत्ती का समझदारी से उपयोग किया जाता है । वैसे ही ट्रस्ट की संपत्ती का समझदारी से उपयोग होना अपेक्षित है । लेकिन यह उपयोग खुद के लिये नहीं पर दुसरों के लिये होगा । हर एक संस्था का घोषणापत्र (चार्टर) या विश्वस्त (ट्रस्ट डीड) या स्मरणपत्र (मेमोरॅंडम) होता है जिससे लाभार्थीयों का जिक्र किया जाता है ।